कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री जगदीश सिंह, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि घाणामघरा,बिलाड़ा,जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि मुंगेरिया, शिव, बाड़मेर किया गया। श्री जगदीश सिंह ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में एस. बी.सिविल याचिका संख्या 17016/2019 श्री जगदीश सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17016/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री जगदीश सिंह को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री जगदीश सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के रीढ की हडड़ी स्लीप डिस्क की समस्या से पीडित होने, पिताजी की मृत्यु सन 1986 में होने तथा माताजी के 80 वर्ष होने व स्थानान्तरण स्थान 400 किमी की दूरी तथा परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वय पर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि उचियार्ड़ा, बिलाडा, जोधपुर/राउमावि उदलियावास, बिलाड़ा, जोधपुर अथवा राउमावि बरना,बिलाड़ा, जोधपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। चूंकि जगदीश सिंह का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारो पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि मुंगेरिया, शिव, बाड़मेर व्याख्याता के पद पर दिनांक 30/11/2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19–20 दिनांकः– 26/11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा...........................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..............।
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर